न्यायालय .... बनाम ....

....

मुकदमा नं. ....

10/1/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश में ही पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी का आवेदन बाबत स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी धोद म सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/19/2017

सोहनलाल पुत्र ऊंकारमल उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कदमा का बास तहसील धोद जिला–सीकर।

बनाम –प्रार्थी

1. ऊंकारमल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम कदमा का बास तहसील धोद जिला–सीकर
2. तहसीलदार, धोद

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
01. श्री भंवरलाल बिजारणियां, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री प्रदीप जोशी, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 10.01.2020

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "ग्राम कदमा का बास तहसील धोद में विवादित भूमियां खसरा सं. 66 रकबा 0.52 हेक्टेयर, खसरा सं. 397/112 रकबा 0.65 हेक्टेयर व खसरा सं. 398/128 रकबा 3.04 हेक्टेयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक, हिस्सा है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक आराजियात है। पूर्व में उक्त आराजियात के पुराने खसरा सं. 31/2 मीन एवं 53 थे, जिनकी खातेदारी प्रार्थी के दादा पेमाराम पुत्र बीजाराम के नाम से थी। तत्पश्चात् वादग्रस्त आराजियात का पेमाराम के वारिसान के मध्य बंटवारा होकर, वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी उक्त आराजियात के 1/3 हिस्से पर आवास निवास बनाकर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

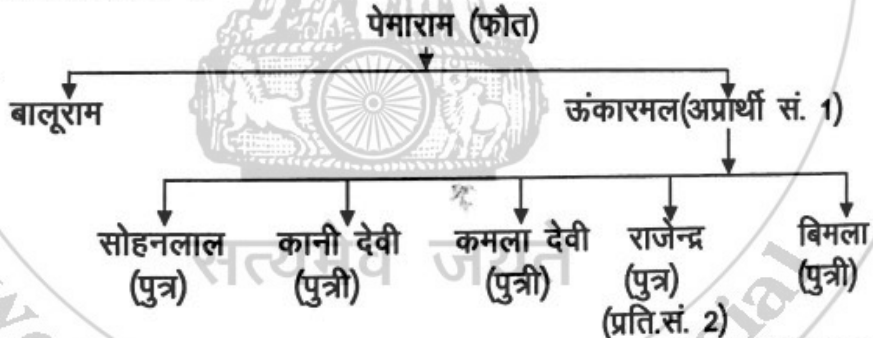

प्रार्थी के दादा पेमाराम पुत्र बीजाराम की मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी है तथा स्व. पेमाराम के दो पुत्र बालूराम व अप्रार्थी सं. 1 ऊंकारमल हुए तथा दावे में वर्णित प्रतिवादी सं. 2 प्रार्थी का सगा भाई है। अप्रार्थी सं. 1 के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हुई। जिनमें से तीन पुत्रियों की शादी होने के बाद उक्त तीनों पुत्रियां कानी देवी, कमला देवी व बिमला अपने–अपने पति की अपने अपने ससुराल में अवस्थित कृषि भूमियों पर काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

आराजियात पर अप्रार्थी सं. 1 की पुत्रियों का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी का पिता अप्रार्थी सं. 1 उक्त आराजियात को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 1 इस कुउद्देश्य में सफल हो गये, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित भूमियां खसरा सं. 66 रकबा 0.52 हेक्टेयर, खसरा सं. 397/112 रकबा 0.65 हेक्टेयर व खसरा सं. 398/128 रकबा 3.04 हेक्टेयर वाके ग्राम कदमा का बास में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप जोशी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि उक्त आराजियात पैतृक भूमियां है, जिसमें प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में 1/3 हक हिस्सा नहीं बनता है और ना ही उक्त आराजियात के 1/3 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 की तीनों पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में विहित प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनी नजीरों के अनुसार सन् 2005 के बाद सभी हिन्दू पुत्रियों को पिता सम्पति में पुत्र के समान ही हक हिस्सा है। उक्त आराजियात का जवाबदाता वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसमें प्रार्थी का विधिनुसार 1/6 हिस्सा बनता है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

03. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी अनुपस्थित। अतः उपस्थित वकील प्रार्थी से बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा है। अतः रेकॉर्ड की यथास्थिति बाबत टी. आई. जारी की जावें। वकील अप्रार्थी के जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान अवलोकन किया गया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदियों के अनुसार विवादित आराजियात का अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त आराजियात अप्रार्थी सं. 1 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। इसलिए विवादित भूमि पैतृक होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित है, जिसे अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब आवेदन में भी स्वीकार किया है। पैतृक आराजी में पिता के जीवित रहते हुये पुत्र/पुत्री को उद्घोषणा का वाद लाने का अधिकार कानूनन प्राप्त है। पैतृक भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 1 तभी कर सकता है, जबकि उसके दोनों पुत्र व तीनों पुत्रियों की सहमति हो। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी भूमि का बेचान करने पर सहमत नहीं है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 विवादित भूमि का बेचान नहीं कर सकता है। प्रार्थी के कब्जे–काश्त में अप्रार्थी सं. 1 दखलंदाजी कर रहा है या नहीं, मकान संयुक्त है या पृथक–पृथक, प्रार्थी का कब्जा–काश्त है या नहीं? उक्त तथ्यों को साबित करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई स्वतंत्र साक्ष्य/गवाह पेश नहीं किये हैं। अतः कब्जे–काश्त में दखलंदाजी नहीं करने का बिंदु प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं है। प्रार्थी का दावा चलने योग्य है या नहीं, पुत्रियों को पक्षकार बनाया

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सीकर

Scanned with CamScanner

जाना आवश्यक था या नहीं, विवादित भूमि में प्रार्थी का कोई हक/हिस्सा बनता है या नहीं और यदि बनता है तो कितना बनता है आदि सभी बिंदुओं का निस्तारण दावे में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किया जायेगा। अतः उपर्युक्त विवरणानुसार विवादित भूमि पैतृक होने के कारण केवल बेचान नहीं करने के बिन्दु तक प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।
(B) सुविधा का संतुलन– भूमि पैतृक होने के कारण केवल रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की सीमा तक सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
(C) अपूरणीय क्षति– विवादित भूमि पैतृक है। अतः यदि अप्रार्थी सं. 1 बिना पुत्रों/पुत्रियों की सहमति के बेचान करता है, तो प्रार्थी जो अप्रार्थी का पुत्र है, को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है।
अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार केवल बेचान नहीं करने के बिन्दु तक प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक खसरा सं. 66 रकबा 0.52 हेक्टेयर, खसरा सं. 397/112 रकबा 0.65 हेक्टेयर व खसरा सं. 398/128 रकबा 3.04 हेक्टेयर वाके ग्राम कदमा का बास तहसील धोद का बेचान नहीं करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.15 16:01:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: